1415
11-7-16

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या–2034/नौ–5–16–38सा/2016

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– मिशन निदेशक(अमृत)/निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2–समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक 06 जुलाई, 2016

विषय : 'अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन– अमृत के अन्तर्गत् इंटर्नशिप के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शहरी स्थानीय निकाय एवं पैरास्टेटल इकाइयों जैसे विकास प्राधिकरण, सूडा, उ0प्र0 जल निगम, ग्राम एवं निगर नियोजन विभाग आदि के माध्यम से नागरिकों को पर्याप्त शहरी आधारभूत संरचना, सुविधाएं तथा सेवाएं उपलब्ध कराने तथा शहरों एवं कस्बों के सुनियोजित विकास एवं वृद्धि को सुनिश्चित करता है। विभाग सक्षम प्रबन्धन सुनिश्चित करने तथा जनसुविधाएं प्रदान करने में जैसे एफोर्डेबेल आवास, सुरक्षित पीने का पानी, सफाई, ठोस अपषिष्ट प्रबंधन, वर्षाजल, नालियों, मलजल निकासी, सड़कें, शहरी परिवहन तथा शहरी निर्धनों हेतु क्षमता तथा शहरों/कस्बों के आर्थिक विकास को बढ़ाने के द्वारा आजीविका के अवसर सृजित करने में सम्बद्ध है।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर विकास विभाग भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कियान्वित "अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन" (AMRUT-Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation)- अमृत के अन्तर्गत् राज्य वार्षिक की कार्य–योजना तैयार करने से निरन्तर जुड़े रहने के साथ ही अप्रैल 2016 से शहरी स्थानीय निकायों में प्रशिक्षुओं को सम्बद्ध करने हेतु योजना प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया है। इस योजना में भारत के ऐसे नागरिक जो कि किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में स्नातक/परास्नातक अथवा शोध कार्य में लगे हुए हैं, उन्हें प्रशिक्षु के रूप में छात्र समुदाय के वृहत् हित में जोड़े जाने की इच्छा है तथा विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के कियान्वयन/प्रबंधन को बढ़ाने में प्रशिक्षु को अल्प कालिक आधार पर जोड़ने के लिए एक कार्यरूप तैयार करने हेतु इंटर्नशिप दिशा–निर्देश 2016 के माध्यम से नगर विकास ने सुनिश्चित किया है।

उद्देश्य एवं निर्देशक सिद्धान्त :

इंटर्नशिप स्कीम का उद्देश्य यह है कि शहरी स्थानीय निकायों में प्रतिष्ठित संस्थाओं से युवा प्रतिभाओं को जोड़ना तथा उन्हें विभागीय कार्यो से परस्पर परिचित कराने एवं लाभ उठाने में अनुमति प्रदान करना है। इस तरह प्रशिक्षुओं को सरकारी कामकाज के अनुभव से लाभ उठाने में मदद मिलेगी तथा शहरी क्षेत्र के मुददे एवं इनपुट उत्पन्न करने जैसे अनुभव सिद्ध विश्लेषण, गुणात्मक, नीति पत्रों, संक्षिप्त प्रतिवेदनों आदि के द्वारा नीति निर्धारण में योगदान दे सकेंगे। इस योजना का उद्देश्य यह है कि अनुभवी तथा योग्य तकनीकी विशेषज्ञों/पर्यवेक्षको/प्रशिक्षकों के निर्देशन के अन्तर्गत प्रशिक्षुओं की सकिय भागीदारी को बढ़ावा देने तथा समझ प्रकिया को बढ़ाने एवं प्रयोगात्मक तथा व्यवहार में लाने में मांगे गये शैक्षणिक ज्ञान के माध्यम से बढ़ावा देना है। इससे विभाग को नव–मस्तिष्क के रूप में नव–परिदृश्य तथा उनके इनपुट के तौर पर अतिरिक्त संसाधन का लाभ हो सकेगा जो कि नीति कियान्वयन तथा नियोजन आधार में वृद्वि प्रदान करेगा। यह योजना निम्नांकित सिद्धान्तों के द्वारा निर्देशित होगी–

- प्रशिक्षुओं को सौपे गये निर्माण कार्यों को पुनः लागू करना सुनिश्चित करना।
- निश्चित समय सीमा के अन्दर उन्हें सौपे गये कार्यों को दक्षता पूर्वक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करना।
- प्रशिक्षुओं को अग्रिम पंक्ति अनुभव सुनिश्चित करना।
- प्रशिक्षुओं को निरन्तर निर्देशन सहायता तथा फीडबैक सुनिश्चित करना।

परिभाषाएं :

इस दिशा–निर्देश में आए विभिन्न प्रमुख शब्दों का निम्न अभिप्राय है –

'विभाग' से तात्पर्य नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन से है।

'सक्षम अधिकारी' से तात्पर्य प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग अथवा प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी से है।

'पैनलबद्ध संस्था' से तात्पर्य किसी ऐसी शैक्षणिक संस्था से है जो कि इंटर्नशिप स्कीम के अन्तर्गत नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अभ्यर्थियों के मनोनयन हेतु पैनेलबद्ध है।

'आवंटित संगठन' से तात्पर्य ऐसे संगठन (उ0प्र0 की शहरी स्थानीय निकायें/पैरास्टेटल इकाइयाँ तथा विभाग) से है जहाँ प्रशिक्षु को इंटर्नशिप कार्य हेतु सम्बद्ध किया गया हैं।

'संसाधंन केन्द्र' से तात्पर्य क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ से है जो कि

शहरी स्थानीय निकायों में प्रशिक्षुओं द्वारा किये गये कियान्वयन, समीक्षा, अनुश्रवण तथा कार्यों/परियोजना प्रतिवेदनों को मूल्यांकन में राज्य सरकार से समन्वयन तथा सहयोग करें।

योग्यता का पैमाना :

(1) भारतीय छात्र जो कि स्नातक/परास्नातक/शोध कार्य में विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में संलग्न है उन्हें प्रशिक्षुओं के रूप में विचारार्थ तथा विभाग द्वारा शहरी नियोजन, सिविल इंजीनियरिंग, वास्तुकला, पर्यावरण इंजीनियरिंग, सामाजिक विज्ञान, समाजकार्य, वित्त, प्रबंधन आदि विषयों में विशेषता रखते है, उन्हें विभाग द्वारा पूर्णरूपेण पैनलबद्ध किया गया है।

टिप्पणी :

- विभाग पैनलबद्ध विश्वविद्यालयों की एक सूची तैयार कर उसे जारी करेगा जो कि उन विश्वविद्यालयों/संस्थाओं की इच्छा पर निर्भर करेगा ठीक उसी प्रकार से जैसे जो संस्था शहरी स्थानीय निकायों को इन्टर्नशिप के लिए प्रत्यक्ष रूप से सम्पर्क करेगी। सूची को विभाग द्वारा जब जरूरत होगी तब उसे अद्यतन किया जाएगा।
- इन्टर्नशिप के लिए स्नातक के प्रथम वर्ष के तथा अंतिम वर्ष उत्तीर्ण छात्र योग्य नहीं माने जाएगे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जिन छात्रों ने परास्नातक में अंतिम वर्ष पूर्ण किया है उन्हें भी इन्टर्नशिप के योग्य नहीं माना जाएगा।

(2) सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के उपरान्त विभाग द्वारा आवश्यकता के आधार पर उपयुक्त मामलों में योग्यता पैमाना शिथिलनीय हो सकता है।

आवेदन प्रकिया :

(1) विभाग प्रत्येक वर्ष जनवरी/मई माह में सूचना जारी करेगा।

- प्रत्येक वर्ष शहरी स्थानीय निकायों में इंटर्नशिप की संख्या की उपलब्धता।
- विभिन्न संगठनों (विभागों/शहरी स्थानीय निकायें तथा पैरास्टेटल इकाइयों) में उनका वितरण।
- विभिन्न स्कीमों/नीतियों/मिशन के अन्तर्गत इन संगठनों में वर्तमान में उपलब्ध परियोजनाए, कार्य तथा शोध कार्य का प्रकार।
- जरूरत पड़ने पर समयसीमा को बढ़ाना अथवा घटाना सक्षम अधिकारी के विवेक पर निर्भर करेगा तथा विभाग के विभिन्न वर्गों, विंग्स, निदेशालयों/संगठनों तथा शहरी स्थानीय निकायों के अन्तर्गत विभिन्न स्कीमों में उनकी जरूरत पर भी निर्भर होगा।

(2) इन्टर्नशिप के नामांकन हेतु पैनलवद्ध संस्थाओं को विभाग पत्र जारी करेगा। पत्र में आवेदन/नामांकन की अंतिम तिथि का स्पष्ट उल्लेख होगा।

(3) इन्टर्नशिप कार्यक्रम हेतु इच्छुक संस्थान अधिकतम 3 इच्छुक तथा योग्य छात्रों को नामांकित कर सकते है तथा निर्धारित फार्म पर उनके आवेदन को अवश्य प्रेषित करें–

- नामितों का बायोडेटा
- एक वित्तीय वर्ष में इन्टर्नशिप हेतु वांछित अवधि
- उनकी रूचि के क्षेत्रों का वांछित कम।

चयन तथा सेवायोजन प्रकिया :

(1) नामांकित अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर अंतिम आवंटन तथा सेवायोजन हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। प्रशिक्षुओं को इंटर्नशिप के लिए एक संगठन आवंटित होगा जिसमें अभ्यर्थियों द्वारा उनकी व्यक्त अभिरूचि के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए विषय की उपयुक्तता तथा समयावधि की उपलब्धता का भी ध्यान रखा जाएगा। सक्षम अधिकारी के विवेक पर चल रही नीतियों द्वारा जैसा वांछित हो, संगठन में प्रशिक्षुओं का आवंटन उनके पिछले शैक्षणिक अभिलेखों, प्राप्ताकों का प्रतिशत तथा योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

(2) सक्षम अधिकारी की स्वीकृति तथा समयावधि की उपलब्धता के आधार पर पैनलबद्ध संस्थाओं को वास्तविक प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा। विभाग द्वारा इंटर्नशिप का प्रस्ताव न तो नियुक्ति प्रस्ताव होगा और न ही सेवायोजन का सुनिश्चिय।

(3) संसाधन केन्द्र प्रशिक्षुओं के लिए एक अल्प कालिक अधिष्ठापन/उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित कर सकता है।

इंटर्नशिप की अवधि :

इंटर्नशिप की अवधि 2–3 माह तथा न्यूनतम 2 माह होगी। इंटर्नशिप हेतु निर्धारित अवधि पूर्ण न करने पर प्रशिक्षुओं को कोई प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

प्रतिवेदन की प्रस्तुति :

इंटर्नशिप के समाप्त होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व प्रशिक्षक/पर्यवेक्षक को परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्रशिक्षुओं द्वारा विभाग को तथा सम्बन्धित प्रशिक्षक/पर्यवेक्षक को संचालित परियोजना के प्रतिवेदन की हार्ड कापी प्रदान करनी होगी तथा उस पर एक प्रस्तुतीकरण भी देना होगा।

परियोजना प्रतिवेदन में पावती पृष्ठ पर परियोजना का नाम, शहरी स्थानीय निकाय का नाम, विभाग, अभिकरण तथा परियोजना में प्रशिक्षुओं को निर्देशन देने वाले पर्यवेक्षक के नाम का उल्लेख करना होगा।

इंटर्नशिप का प्रमाण–पत्र :

विभाग प्रशिक्षुओं को इंटर्नशिप पूर्ण होने पर एक प्रमाण–पत्र जारी करेगा तथा प्रतिवेदन को विधिवत् प्रति हस्ताक्षरित तथा स्वीकृत कर प्रेषित करेगा।

परस्पर समझ तथा अनुभव बॉटने का कार्यक्रम–

संसाधन केन्द्र पर प्रशिक्षुओं को इंटर्नशिप के दौरान परियोजना आंवटन के परिणामों तथा अनुभवों को बॉटने हेतु विभाग प्रशिक्षणोपरान्त एक परस्पर समझ तथा अनुभव बॉटने का कार्यक्रम आयोजित करेगा।

वृत्ति :

इंटर्नशिप के दौरान स्नातक तथा परास्नातक प्रशिक्षुओं को क्रमशः कुल रू0 10,000 तथा रू0 15,000 वृति के तौर पर प्रदान किये जायेंगे।

लाजिस्टिक सहयोग :

प्रशिक्षुओं को कार्य स्थान प्रदान किया जाएगा जहॉ पर वे उनको आवंटित परियोजना कार्य हेतु अपना लैपटॉप लेकर आएगे तथा उन्हें रहने एवं यात्रा सम्बन्धी व्यय स्वयं वहन करना होगा।

अवकाश :

इंटर्नशिप की अवधि के दौरान कम से कम 4–5 दिनों का अवकाश।

आचरण संहिता :

नियुक्त प्रशिक्षुओं को विभाग द्वारा निम्न आचरण संहिता को ध्यान में रखना होगा जिसमें निम्न असीमित शामिल हैं–

- प्रशिक्षुओं को आवंटित संगठन परिसर पर कार्यकाल के दौरान उपस्थिति आवश्यक है जबतक की प्रशिक्षक/पर्यवेक्षक द्वारा अन्य के लिए लिखित अनुमति प्रदान न की गई हो।
- प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षक/पर्यवेक्षक द्वारा प्रदान की गई कार्ययोजना तथा कार्यक्रम विवरण के साथ जुड़े रहना होगा तथा इंटर्नशिप के लिए प्रशिक्षक/पर्यवेक्षक द्वारा तैयार किये गये सभी ढ़ाँचागत क्रियाकलापों में भाग लेना होगा तथा कार्य से सम्बन्धित समीचीन प्रश्नों को अपने प्रशिक्षक/पर्यवेक्षकों से पूछना होगा एवं नियमित रूप से प्रगति पर विचार–विमर्श करना होगा।
- प्रशिक्षुओं को विभाग के कर्मचारियों तथा आवंटित संगठनों हेतु सामान्य रूप से लागू नियमों एवं विधानों का पालन करना होगा।
- प्रशिक्षुओं को विभाग द्वारा आवंटित संगठन के प्रोटोकॉल की गोपनीयता को बनाये रखना होगा तथा विभाग की गुप्त सूचना, कार्य तथा नीतियों को वे किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन के समक्ष उदघाटित नहीं करेंगे।
- प्रशिक्षु विभाग तथा आवंटित संगठनों पर किये गये कार्य पर अपना बौद्धिक सम्पदा अधिकार नहीं मांगेगा तथा विभाग की बौद्धिक सम्पदा की गोपनीयता का कठोरता से पालन करेगा। उसका उल्लंघन करने पर प्रशिक्षु के विरूद्व कार्यवाही पर विचार किया जाएगा जिस संस्था से वह जुड़ा है तथा उसपर समुचित कार्यवाही की जाएगी।
- परियोजना कार्य के परिणामों पर प्रशिक्षुओं का तथा संबन्धित संस्था का कोई हक नहीं होगा। परियोजना कार्य के दौरान तैयार किये गये पेटेन्ट्स/डिजाइन/सॉफ्टवेयर/कॉपीराइट तथा प्रकाशनों पर विभाग का ही बौद्धिक सम्पदा अधिकार होगा।
- प्रशिक्षु विभाग की पूर्व अनुमति से अपने कार्य का प्रस्तुतीकरण शैक्षणिक इकाइयों को तथा संगोष्ठियों/कार्यशालाओं में कर सकते हैं जबकि इस कार्य के लिए यदि विभाग तथा आन्तरिक संगठन की कोई गोपनीय सूचना है तो वे किसी भी परिस्थिति में उसे प्रकट नहीं करेंगे।

कृपया उपर्युक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

06/7/24

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या–2034(1)/नौ–5–16 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2– समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
3– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5– निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6– निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
7– गार्ड बुक/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी